



आई-फैमिलिया (I-Familia) : लापता व्यक्तियों की पहचान के लिये वैश्विक डेटाबेस

 drishtias.com/hindi/printpdf/i-familia-global-database-to-identify-missing-persons

पिरलिम्स के लिये

आई-फैमिलिया (I-Familia) इंटरपोल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल सेंटरल ब्यूरो, डीएनए

मेन्स के लिये

आई-फैमिलिया (I-Familia) का संक्षिप्त परिचय, इसकी कार्यप्रणाली एवं महत्त्व, इंटरपोल का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिये आई-फैमिलिया (I-Familia) नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

I-Familia के बारे में :

- I-Familia अंतर्राष्ट्रीय डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) नातेदारी संबंधों के आधार पर लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिये इस प्रकार का पहला वैश्विक डेटाबेस है।
- डेटाबेस लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों को परिवार के सदस्यों के डीएनए नमूनों का उपयोग करके पहचान करता है, जबकि इसकी प्रत्यक्ष तुलना संभव नहीं है।
परिवार के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज के लिये अपने डेटा का उपयोग करने हेतु सहमति देनी होगी।
- यह प्रयत्न डीएनए मैचिंग में इंटरपोल की लंबे समय से किये जा रहे सफलतम प्रयास का परिणाम है।

कार्यकारी:

- **I-Familia** के तीन घटक हैं:
 - रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किये गए **डीएनए प्रोफाइल** की पहचान करने के लिये एक समर्पित वैश्विक डेटाबेस है, जिसे किसी भी आपराधिक डेटा से अलग रखा गया है।
 - **डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर** को **बोनापार्ट (Bonaparte)** कहा जाता है।
 - संभावित मैचिंग की रिपोर्ट और कुशलतापूर्वक पहचान करने के लिये इंटरपोल द्वारा **व्याख्या दिशा-निर्देश** जारी किये गए हैं।
- मैचिंग की स्थिति के दौरान **उन देशों को सूचनाएँ भेजी जाती हैं, जिन्होंने क्रमशः अज्ञात शरीर और परिवार से डीएनए प्रोफाइल** को उपलब्ध कराया है।

महत्त्व :

- बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ, संगठित अपराध और मानव तस्करी की व्यापकता, वैश्विक प्रवास में वृद्धि, संघर्ष तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में लापता व्यक्तियों और अज्ञात पीड़ितों की संख्या में वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- सभी देशों में अनसुलझे (Unsolved) लापता व्यक्तियों के मामलों के साथ-साथ मानव अवशेष को भी जाँचा जाता है क्योंकि इन्हें अकेले उनकी राष्ट्रीय प्रणालियों का उपयोग करके पहचाना नहीं जा सकता है।

प्रत्यक्ष डीएनए मैचिंग बनाम नातेदारी डीएनए मैचिंग :

- लापता व्यक्ति से एक प्रत्यक्ष डीएनए नमूना लिया जाता है, उदाहरणस्वरूप एक पूर्व चिकित्सा नमूना या एक व्यक्तिगत वस्तु जैसे टूथब्रश की तुलना किसी अज्ञात शरीर या मानव अवशेषों के डीएनए से की जा सकती है, इसका उपयोग एक मैचिंग विवरण प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार की पहचान वर्ष 2004 से इंटरपोल डीएनए डेटाबेस के माध्यम से की जा रही है।
- जैविक रिश्तेदार अपने संबंधों के आधार पर अपने डीएनए का एक प्रतिशत साझा करते हैं। यदि प्रत्यक्ष मैचिंग के लिये लापता व्यक्ति से डीएनए नमूना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो परिवार के करीबी सदस्यों (माता-पिता, बच्चों, भाई-बहनों) के डीएनए की भी तुलना की जा सकती है। यही वह प्रणाली है जहाँ **I-Familia** एक अंतर स्थापित करती है।

इंटरपोल (Interpol)

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है।
- प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक इंटरपोल नेशनल सेंटरल ब्यूरो (NCB) की मेज़बानी की जाती है। यह उनके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोड़ता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यों (Lyon) में है।
- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।



स्रोत: द हिंदू
